

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2023

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अंतर्गत जनपद-संतरविदास नगर(भदोही) नगर पंचायत ज्ञानपुर पुनर्गठन पेयजल योजना के पुनरीक्षण एवं उसके उपरान्त पूर्व में मूल स्वीकृत परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक, मुख्य अभियंता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-62/नागर-1/033-0304/2022, दिनांक 23-08-2022 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि राज्य सेक्टर के पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अंतर्गत जनपद -संतरविदास नगर(भदोही) नगर पंचायत ज्ञानपुर पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु शासनादेश संख्या-8025/नौ-5-2010-201बजट/2010, दिनांक 28.02.2011 द्वारा रूपये 194.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 97.10 लाख एवं शासनादेश संख्या-1805/नौ-5-13-201बजट/2010, दिनांक 31.03.2013 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 97.10 लाख अर्थात् कुल 194.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

3- जनपद-संतरविदास नगर के ज्ञानपुर नगर पंचायत की जनसंख्या बढ़ने के कारण काफी क्षेत्र में जन संख्या फैल जाने के कारण बड़ी हुई जनसंख्या को पेयजल से संतृप्त किये जाने के दृष्टिगत विषयगत परियोजना की मूल स्वीकृत लागत रूपये 194.20 लाख को रूपये 401.14 लाख का पुनरीक्षित स्वीकृति तथा पुनरीक्षण के उपरान्त पूर्व अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कुल धनराशि 194.20 लाख के सापेक्ष तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रूपये 206.94 लाख (रूपये दो करोड़ छः लाख चौरान्दवे हजार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

### नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
- (14) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,06,94,000 ( रुपये दो करोड़ छह लाख चौरानवे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-219-X-2023-24, दिनांक- 15 सितम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

शुभदीय,  
18.09.2023  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 127(1) /2023/3682/नौ-5-2023 /001-Com.No.-1654396, तदु दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त-मिर्जापुर/जिलाधिकारी, संतरविदासनगर।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालाय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (प्रया०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), प्रयागराज।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र० प्रयागराज।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ज्ञानपुर, जनपद-संतरविदासनगर।
- 11- निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
18.09.2023  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-18/09/2023

प्रेषण संख्या:- 127  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-127-2023-3682-9-5-2023-001-CN-1654396  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	20694000 20694000	20694000 20694000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20694000 20694000	20694000 20694000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ छः लाख चौरानवे हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ छः लाख चौरानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव